रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 1974/ अग्रहायण 4, 1896

No. 301] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 1974/AGRAHAYANA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

**(Indian Posts and Telegraphs Department)**

**(P. & T. Board)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 12th November* 1974

**G.S.R. 665(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Telegraph (Tenth amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, for rule 416, the following rule shall be substituted, namely:—

"416. *Powers of Telegraph Authority.*—The Telegraph Authority may, if it considers it necessary to do so, refuse to comply with any application for a telephone or similar service or for alterations of any such existing service and may after giving the subscriber, a notice in writing stating the reasons for the withdrawal, withdraw either totally or partially any telephone or similar service provided under these rules; provided that in emergent cases such notice may be given to the subscriber within a period of seven days after the withdrawal has been effected."

[No. 11-34/73-PHA.]

H. C. MATHUR,

Director of Telephones (E).

संचार मंत्रालय

(भारतीय डाक तार विभाग)

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1974

**सा० का० नि० 665 (अ)**.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा भारतीय तार नियमावली, 1951 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नवर्ती नियम बनाये हैं; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (10 वां संशोधन) नियम, 1974 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 416 के स्थान पर निम्नवर्ती नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"416. **तार प्राधिकारी की शक्तियां**.—तार प्राधिकारी यदि ऐसा करना आवश्यक समझें तो टेलीफोन के लिए या इसी प्रकार की सेवा के लिए या मौजूदा सेवा में किसी तबदीली केलिए दिये गये आवेदन पर कार्रवाई करने से इंकार कर सकता है और उपभोक्ता को सेवा वापिस लेने के कारणों को बताते हुए लिखित नोटिस देने के बाद इन नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था की गई किसी टेलीफोन या इसी प्रकार की सेवा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बन्द कर सकता है, किन्तु आपत्कालीन मामलों में सेवा बन्द करने के बाद सात दिनों की अवधि के भीतर उपभोक्ता को ऐसा नोटिस दिया जा सकता है।"

[सं० 11–34/73–पी० एच० ए०]

हरिश्चन्द्र माथुर,
निदेशक फोन (ई)।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974